

राष्ट्रीय लोक अदालत, सुपौल

भपटियाही थाना काण्ड सं०-९५ / २०२२

जी०आर० संख्या-1942 / 2022

सी०आई०एस०-1416 / 2022

10.05.2025 अभिलेख राष्ट्रीय लोक अदालत में पीठ संख्या-05 के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उभय पक्ष पीठ के समक्ष उपस्थित होकर समझौता आवेदन (अवार्ड) दाखिल करते हैं तथा आपस में सुलह समझौता का समर्थन करते हैं। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि वाद में धारा- 341,323,504,506 / 34 भा०द०वि० के अन्तर्गत संज्ञान लिया गया है जो भामनीय एवं सुलहनीय प्रकृति का है। ऐसी स्थिति में वाद को आगे चलाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः वाद निष्पादन किया जाता है।

प्र०पीठासीन पदाधिकारी

पीठ संख्या-05 .

प चात्

10.05.2025 अभिलेख राष्ट्रीय लोक अदालत में वाद निष्पादित किया जाता है। कार्यालय लिपिक अभिलेख को नियमानुसार जिला अभिलेखागार सुपौल में जामा करें।

लेखापित

प्र०न्या०दण्डा०-प्रथम श्रेणी
सुपौल।